आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
28/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 160/2011–12** **रूईदास महतो व अन्य बनाम् रामकन्हाई मुण्डा एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद उपायुक्त, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–70R15/2006-07 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। प्रश्नगत् वाद में अपीलार्थी की तरफ से वर्ष–2015 के बाद से हाजिरी नहीं दी जा रही है, जबकि विपक्षी न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे है। दिनांक–27.12.2021 को विपक्षी के द्वारा अनुरोध किया गया कि, आवेदकों की लगातार अनुपस्थिति को देखते हुये इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाय। उक्त तिथि को दिनांक–06.01.2022 को वाद की सुनवाई हेतु पुनः तिथि निर्धारित की गयी किन्तु आवेदक अनुपस्थित रहे। अगली दिनांक–14.02.2022 को पुनः आवेदक अनुपस्थित रहे। अंततः विपक्षी की सुनवाई करते हुये आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु एवं लिखित बहस दायर करने हेतु पुनः एक सप्ताह का समय दिया गया। मात्र विपक्षियों की तरफ से लिखित बहस दायर की गयी। अतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् वाद में ग्राम–थानामुंजी, खाता नम्बर–67 के प्लॉट नम्बर–844, 881 एवं 842 के कुल 4.99 एकड़ भूमि का विषय सम्मिलित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में इस वाद को विपक्षियों द्वारा भूमि वापसी का वाद दायर किया गया था। प्रश्नगत् भूमि पूर्णरूपेण रघु मुण्डा के नाम से दर्ज है तथा किसी भी समय उक्त भूमि की बिक्री नहीं की गयी। विगत् आर0 एस0 खतियान में रघु मुण्डा एवं लालसी मुण्डा के नाम से ही सर्वे इन्द्राज ही दर्ज है। आवेदकों का दावा है कि दिनांक–19.02.1948 को प्लॉट–842, रकबा–0.55 एकड़ भूमि सुरज नाथ महतो के पक्ष में निबंधित पट्टा द्वारा इस्तिफा दी गयी एवं इस्तीफा के पश्चात् उसी तिथि को वनमाली महतो एवं अन्य के नाम से निबंधित पट्टा से बंदोबस्त किया गया। प्लॉट नम्बर–844, दिनांक–16.05.1953 को खतियानी रैयत लखन मुण्डा के उत्तराधिकारी द्वारा निबंधित पट्टा से वनमाली महतो के पक्ष में इस्तीफा दे दिया गया, जिनके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ बंदोबस्ती की गयी। उक्त अवधि में यह किये गये कथित इस्तीफा एवं बंदोबस्ती की कार्रवाई उपायुक्त से अनुमति प्राप्त	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	किये बिना किये जाने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। उपायुक्त न्यायालय में पुनः अपील की सुनवाई के दौरान इन बिन्दुओं पर विचार किया गया तथा उपायुक्त द्वारा इस अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। विपक्षियों को उक्त आदेश के आलोक में दखल दिहानी भी करा दी गयी है। आवेदकों के द्वारा पुनः उन्हीं बिन्दुओं पर उल्लेख करते हुये पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि एक ही तिथि 19.02.1948 को प्रश्नगत् भूमि का कथित इस्तीफा एवं बंदोबस्ती स्पष्टतः संदेहास्पद है तथा उक्त समय आदिवासी रैयती भूमि के हस्तांतरण हेतु उपायुक्त की अनुमति आवश्यक थी, जो प्रश्नगत् मामले में प्राप्त नहीं की गयी है। इसी कारण आवेदकों के द्वारा एक Title Suit-761/1962 दायर किया गया, जो वर्ष–1962 में ही समझौता के आधार पर समाप्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक मात्र आदिवासी भूमि पर किये गये अपने दखल को सम्पुष्ट कराने हेतु प्रयास करते रहे हैं। आवेदकों का यह भी दावा है कि भूमि वापसी का वाद विचाराधीन रहते समय गजोधर महतो की मृत्यु हो गयी किन्तु उनके नाम को प्रतिस्थापित नहीं कराया गया। मात्र किसी एक पक्षकार के मृत्यु से वाद की कार्रवाई प्रभावित नहीं होती है। प्रश्नगत् मामले में आदिवासी रैयती भूमि का उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बगैर किया गया है तथा समझौता के आधार पर निष्पादित Title Suit के आधार पर भूमि पर दावा किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की विवेचना करते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय में आवेदक लगातार अनुपस्थित है, जो यह स्पष्ट करता है कि उन्हें इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 15:34:16 +05:30
Location: 192.168.1.40